भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1715

दिनांक 04 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भूजल प्रबंधन के लिए की गई पहलें

1715. श्री संत बलबीर सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भूजल के अत्यधिक दोहन को विनियमित करने और दक्ष पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वर्तमान कार्यनीति क्या है; और

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित अटल भूजल योजना जैसी कोई अन्य योजना है जिसके अंतर्गत भूजल संधारणीयता के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में भूजल निकासी के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है और इस तरह के विनियमन के लिए दिनांक 24.09.2020 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं, जिनकी अखिल भारतीय प्रयोज्यता है। दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि अवसंरचना परियोजनाओं, खानों, उद्योगों आदि जैसे भूजल का निष्कर्षण करने वाले सभी परियोजना प्रस्तावकों को भूजल का दोहन करने के लिए अनिवार्य रूप से सीजीडब्ल्यूए से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, अति-निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों द्वारा निम्नलिखित कठोर उपाय अनिवार्य किए गए हैं:

- एमएसएमई को छोड़कर, अति-दोहित क्षेत्रों में नए उद्योगों को एनओसी नहीं दी जाएगी।
- एनओसी केवल स्थानीय सरकार की जल आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता के मामले में दी जाएगी।
- भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए उद्योग जल कुशल प्रथाओं को अपनाएंगे और वे उद्योग जो 100 किलो लीटर/दिन (केएलडी) से अधिक भूजल का निष्कर्षण करते हैं, वे द्विवार्षिक जल लेखा परीक्षा कराएंगे।
- सभी परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से जल प्रवाह मीटर स्थापित करना होगा और जिसे भूजल निष्कर्षण डेटा की मानीटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीजीडब्ल्यूए के साथ नियमित रूप से साझा किया जाना चाहिए।
- सभी परियोजना प्रस्तावकों पर भूजल निष्कर्षण शुल्क लगाया जा रहा है, जो खपत के आधार पर आनुपातिक रूप से बढ़ता है।
- निवारक उपायों के रूप में अवैध निष्कर्षण के लिए भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) प्रभार और एनओसी शर्तों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए भी नियमित रूप से राज्यों के साथ पत्राचार और विचार-विमर्श कर रहा है ताकि वे अपने स्वयं के विनियामक तंत्र स्थापित कर सकें और जहां कहीं स्थापित किए गए हों, उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

जल राज्य का विषय होने के बावजूद, केन्द्र सरकार ने भूजल पुनर्भरण और संरक्षण को बढ़ावा देकर देश के भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। कुछ महत्वपूर्ण नीचे उल्लिखित हैं:

i. वर्ष 2019 से सरकार देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, जेएसए 2025 को देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक संयुक्त अभियान है जिसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. जल शक्ति मंत्रालय 7 राज्यों के 80 जल संकट वाले जिलों में अटल भूजल योजना लागू कर रहा है, जिसका मुख्य विषय भूजल संसाधनों का समुदाय आधारित स्थायी प्रबंधन है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मांग के अंतर को कम करने के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए कई कृत्रिम पुनर्भरण और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को उचित महत्व दिया जा रहा है।

iii. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।

iv. जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूत करने के लिए, जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए एक समुदाय-आधारित उपाय को देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

(ख): अटल भूजल योजना के अलावा, भारत सरकार की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके माध्यम से भूजल स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता/वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत, कृषि तालाबों, चेक बांधों, परकोलेशन टैंको, कंटोर ट्रेंचिंग और पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत लगभग 60% संसाधन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) पर खर्च किए जाते हैं, जिसका जल संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियां एक प्रमुख घटक हैं।

ii. भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों के साथ-साथ पूरे देश में भूजल स्तर, गुणवत्ता और संसाधन मूल्यांकन की नियमित मानीटरिंग की जाती है। नेक्यूम के तहत देश की जलभृत विशेषताओं और प्रकृति को तैयार किया गया है जो कार्यक्रम के तहत घटकों में से एक है।

iii. वर्ष 2015-16 से , प्रति बूंद अधिक फसल योजना को कृषि और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

*****